

पेश किया गया रिपोर्ट सीरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे।
जाने योग्य है। प्रकरण दर्ज करवाई जाकर पत्रावली
अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर किया जावे।
दिनांक 2-12-2024 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ला शर्मा अप.
अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 की तलवी शर्मा
द्वारे A.D जाट हुई है। बावजूद
सूचना के अप्रार्थी क्रम 01 एवं 02
अनुपस्थित हैं। अतः अप्रार्थी क्रम
01 एवं 02 के विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही की जाती है। वकील शर्मा
की एक पक्षीय बयान सुनी गई।
एक गहनता से मनन किया गया।
पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेजों के
अवलोकन से शर्मा के पक्ष में ज्वम
दृष्ट्या मामला बनता है। आश्वनीय
द्वारे एवं सुविधा का संतुलन का मामला
भी शर्मा के पक्ष में बनता है। अतः
शर्मा मैरुलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र 212 RT Act स्वीकार किया जाकर
अप्रार्थी क्रम 01 एवं 02 को जर्मे अस्थायी
निषेधाज्ञा घोषित किया जाता है कि

अजना सह
जयसिंह अधिकारी
मांगरोल

वे मूल वाद के निस्तारण तक
 प्राथी के खारे की आरजी वरि
 ग्राम मूडला खाता संख्या 52
 ख.न. 302 रुबा 0.22 ई. ख.न.
 296 रुबा 0.26 ई. मे किसी प्रकार
 बलशक परवलान्दगी ना करे ना ही
 ऐसा अपने परिनीयथो से करवे।
 फावली कमल शुमार होकर निर्णय
 से कम ही एव मूल वाद के भावा
 संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक
 2-12-2024 को करे इजलान पुमापा
 गया।